



Neutral Citation No. - 2026:AHC:34804

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 3854 वर्ष 2026

कल्याण स्वरूप (मृत्यु 02.10.2024) और 4 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : हंस प्रताप सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 34 के तहत कार्यवाही प्रत्यर्थी संख्या 5/अभिलाषा द्वारा कैलाश रानी के विरुद्ध शुरू की गई थी, जिसे केस संख्या 937 वर्ष 2017 (कंप्यूटर केस संख्या टी201707324102937) (श्रीमती अभिलाषा बनाम श्रीमती कैलाश रानी) के रूप में दर्ज किया गया था। उक्त मामले में, प्रत्यर्थी संख्या 4/तहसीलदार, तहसील राठ, जिला हमीरपुर द्वारा 05.09.2022 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:-

पत्रावली पेश। उभय पक्ष हाजिर। शेष सुनवाई प्रार्थना पत्र पूरी हुई। दोनों पक्ष द्वारा बहस/साक्ष्य प्रस्तुत करें। पत्रावली दिनांक 23.09.22 को पेश हो।

2. उक्त आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 35(2) के तहत प्रावधानित अपील प्रत्यर्थी संख्या 3 के समक्ष दायर की गई थी जिसे 14.06.2023 को खारिज कर दिया गया था। उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के तहत पुनरीक्षण संख्या प्रस्तुत की गई थी जिसे प्रत्यर्थी संख्या 2 ने आदेश दिनांक 05.01.2026 द्वारा खारिज कर दिया था। उपरोक्त आदेशों से व्यथित होकर, याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान याचिका प्रस्तुत की है।

3. अभिलेख के परिशीलन से यह पता चलता है कि प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 34 के तहत दायर केस संख्या 937 वर्ष 2017 की कार्यवाही को केवल लंबा खींचने के उद्देश्य से याचिकाकर्ताओं द्वारा अपील और पुनरीक्षण दायर किया गया था जो पहले ही खारिज हो चुकी थी और याचिकाकर्ता ने अब वर्तमान याचिका दायर की है जो कानून की प्रक्रिया और न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

4. मामले के इस दृष्टिकोण में, न्यायालय की यह राय है कि वर्तमान याचिका अनुकरणीय दंड के साथ खारिज किए जाने योग्य है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. इस स्तर पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वर्तमान याचिका को बल न दिए जाने के रूप में खारिज करने की प्रार्थना की गई है।
6. तदनुसार, वर्तमान याचिका को बल न दिए जाने के रूप में खारिज किया जाता है।
7. हालांकि, प्रत्यर्थी संख्या 4/तहसीलदार, तहसील राठ, जिला हमीरपुर को केस संख्या 937 वर्ष 2017 (कंप्यूटर केस संख्या टी201707324102937) (श्रीमती अभिलाषा बनाम श्रीमती कैलाश रानी) को शीघ्रता से और अधिमानतः आज से दो महीने की अवधि के भीतर निस्तारित करने का निर्देश दिया जाता है।
8. निबंधक (अनुपालन) को निर्देश दिया जाता है कि वे एक सप्ताह के भीतर आयुक्त चित्रकूट मंडलधाम बांदा के माध्यम से प्रत्यर्थी संख्या 4/तहसीलदार, तहसील राठ, जिला हमीरपुर को इस आदेश की एक प्रति प्रेषित करें।

(माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

17 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"